सं.-एम-11015/130/2017-एफडी
पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001.
दिनांक 19 मई, 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव
पंचायती राज विभाग
सभी राज्य

**विषय:- ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग अनुदानों (XIV एफसी) के अव्ययित शेष का 31 मार्च, 2023 से परे उपयोग के संबंध में**

महोदय/महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिनांक 11 मई, 2023 के कार्या. ज्ञापन संख्या 15(1)- एफसी एक्सवी/एफसीडी/2020-25 का संदर्भ लेने का निदेश दिया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है)। संदर्भ कार्यालय ज्ञापन में, यह पुष्टि की गई है कि राज्य में ग्रामीण स्थानीय निकाय इस विषय पर दिशानिर्देशों के अनुसार पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान की अव्ययित शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं। तथापि, निधि के संचय से बचने के लिए पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) को सलाह दी गई है कि वह उन स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने की सिफारिश न करे जिनके पास विचाराधीन किस्त के 10% से अधिक 14वें वित्त आयोग की अव्ययित शेष राशि है।

2. वित्त मंत्रालय के उपरोक्त निदेश के अनुपालन में राज्यों को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV एफसी) अनुदान की अगली किस्त जारी करने की सिफारिश करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, राज्यों को 15 वें वित्त आयोग अनुदान की अगली किस्त के लिए अपने दावे के साथ एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें यह उल्लिखित किया गया हो कि राज्य में ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के पास विचाराधीन किस्त के 10% से अधिक पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान की अव्ययित शेष राशि नहीं है। यह पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान जारी किए जाने के लिए पहले से मौजूद पात्रता शर्तों के अतिरिक्त अपेक्षा होगी।

यह सचिव, पंचायती राज के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संग्लग्नक: यथोपरि

भवदीय,

(के. एस.पार्थासार्थी)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि

1. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग,
[श्री अनिल गैरोला, उप सचिव- एफसीडी के ध्यानार्थ],
ब्लॉक-11, 5वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

2. जल शक्ति मंत्रालय,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
(श्री करणजीत सिंह, संयुक्त निदेशक के ध्यानार्थ)
चौथी मंजिल, पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003.

फा. सं. 15 (1)एफसी-XV/एफसीडी/ 2020-25
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
(वित्त आयोग प्रभाग)

11वां ब्लॉक, 5वीं मंजिल,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003,
दिनांक:-11-05-2023.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-स्थानीय निकायों द्वारा चौदहवें वित्त आयोग के अव्ययित अनुदानों के उपयोग के बारे में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में व्यय विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30-05-2022 के अनुक्रम में, पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त अनुरोध के आलोक में मामले पर पुनर्विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि स्थानीय निकाय इस विषय पर दिशानिर्देशों के अनुसार 14वें वित्त आयोग के अनुदान की अव्ययित शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं। तथापि, निधियों के संचय से बचने के लिए पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को सलाह दी जाती है कि वे उन स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने की सिफारिश न करें जिनके पास 14वें वित्त आयोग को जारी किए जाने वाली अव्ययित शेष राशि, विचाराधीन किस्त के 10% से अधिक है।

2. यह कार्यालय ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

3. ये दिशा-निर्देश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

(अनिल गैरोला)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

(i) सचिव, पंचायती राज मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली- 110001.
(ii) सचिव, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001.

**जारी करने की तिथि – 11/05/2023**
**वित्त आयोग**